

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक-3150/मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक, मार्च, 21- 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
 उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:- जनपद सोनमर में पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनमर भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल०डब्लू०ई०) के अन्तर्गत सुअरसोतखुर्द से सिरसिया मार्ग किमी० ०.००० से १९.२० तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु कुल ११.७९ हे० आरक्षित वन भूमि के गैर दानिकी प्रयोग एवं बाधक ११२ वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक ८६१/यू०पी०/०६/३१६/२०२२/एफ०सी०/८१४ दिनांक ०९.०१.२०२३ एवं आपका पत्रांक- २२९८/११-८-१५/५५/२०२१ Lucknow Dt. ११.०१.२०२३

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रश्नगत प्रकरण में आपके कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक-११.०१.२०२३ द्वारा इगित कमियो का निराकरण किये जाने का निर्देश दिये गये है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी सोनमर वन प्रभाग, सोनमर ने अपने कार्यालय के पत्रांक १४४८/सोनमर/३३ दिनांक १४.०३.२०२३ (छाया प्रति संलग्न) द्वारा कमियों का निराकरण कर निर्धारित टेबुलर फार्म में निम्न प्रकार इस कार्यालय को प्रेषित किया है:-

क्र०सं०	बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	As per the GIS-DSS analysis, the demarkation area proposed for diversion is undervalued. This needs rectification/clarification.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सोनमर ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित वन भूमि का राजस्व विभाग, वन विभाग तथा प्रयोक्ता अभिकरण के साथ पुनः संयुक्त स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन कराया गया जिसमें पाया गया कि पूर्व में प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वन भूमि प्रभावित नहीं हो रहा है। (संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न, संलग्नक-१)
2	As per the proposal, 11 patches of the CA land proposed in non-forest land, but according to the DSS out of 11 patches, 05 patches have been fall in the Reserve Forest area (Khasra No. 45, 10, 8, 1305 & 1306) This needs rectification/Clarification.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सोनमर ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित गैर वन भूमि का राजस्व विभाग, वन विभाग तथा प्रयोक्ता अभिकरण के साथ पुनः संयुक्त स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन कराया गया है जिसमें पाया गया कि क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु प्रस्तावित भूमि वास्तव में गैर वन भूमि ही है। प्रस्तावित गाटों को १:५०००० स्केल पर बने वनसीमा कि डिजिटल बाउण्ड्री पर डालने से यह वन सीमा से अतिव्यापी प्रदर्शित हो रहा है किन्तु इन गाटों का जब राजस्व के खसरा मानचित्र १:४००० पर अतिव्यापी करने पर वन सीमा से बाहर प्रदर्शित हो रहा है। (संयुक्त निरीक्षण आख्या संलग्न, संलग्नक-२)
3	Consolidate patch of at-least 5.00 ha needs to be provided for CA. Also CA land has to be contiguous to Forest Block. Accordingly, CA Scheme and all related documents need to be revised.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सोनमर ने अवगत कराया है कि राजस्व भूमि के अभिलेखों के अनुसार उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि वन विभाग से सटा हुआ है। पूर्व में राजस्व द्वारा बड़े पैच उपलब्ध कराये गये थे जो कि पथरीली होने के कारण वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं था। सोनमर का अधिकतम भाग वन भूमि एवं पथरीली होने के कारण वन विभाग से सटा एवं ५ हे० में से अधिक उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण उपलब्ध अधिकतम क्षेत्रफल की भूमि सी०ए० लैंड हेतु उपलब्ध करायी गयी है। प्रस्तावित गाटे वन भूमि से सटे होने के कारण प्रबन्धन में कोई अन्तर नहीं आयेगा।
4	The Geo-referenced cadastral map of the proposed CA land need to be submitted.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सोनमर ने अवगत कराया है कि क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि का जियो रिफरेंस कैडस्ट्रल मानचित्र संलग्न कर दिया गया है। (संलग्नक-३)

✓

5.	Plantation scheme for road side plantation needs to be submitted.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र ने अवगत कराया है कि रोड साइड पटरी वृक्षारोपण सम्वन्धी प्राक्कलन संलग्न है। (संलग्नक-4)
6.	The sanction letter submitted with the proposal does not indicate the widening of this particular road and the length of road to be widened. The necessary document needs to be provided.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र ने अवगत कराया है कि परियोजना का स्वीकृत पत्र संलग्न कर दिया गया है। (संलग्नक-5)

अतः प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की प्रेषित आख्या एतदसह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र झा)

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

सख्या- 3150 / अ / समदिनांक।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र को उनके कार्यालय पत्रांक 1448/सोनभद्र/33 दिनांक 14.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

o/c

(रमेश चन्द्र झा)

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र।

पत्रांक- 1440 / सोनभद्र / 33, दिनांक, रावर्टसगंज मार्च 14, 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, उ०प्र०,
मीरजापुर।

विषय:- जनपद सोनभद्र में पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल०डब्ल्यू०ई०) के अन्तर्गत सुअरसोतखुर्द से सिरसिया मार्ग किमी० 0.000 से 19.20 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 11.79 हे० आच्छादित वन भूमि के गैर वाणिजी प्रयोग एवं बाघक 112 बूझों के पालन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 841/यू०पी०/०६/316/2022/एफ०सी०/814 दिनांक 09.01.2023 मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ 2298/11-C-FP/UP/ROAD/119900/2021 Lucknow Dt. 11.01.2023 एवं कार्यालय अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० का पत्रांक-211/यू०पी० 87153- पी०एम०जी०एस०वाई०/2023 दिनांक-13.03.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में श्रुति कथियों का निम्नानुसार निराकरण कर ~~प्रस्तुत~~ चार प्रतियों में संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र०सं०	बिन्दु	आख्या
1	As per the GIS-DSS analysis, the demarkation area proposed for diversion is undervalued. This needs rectification/clarification.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावित वन भूमि का राजस्व विभाग, वन विभाग तथा प्रयोक्ता अनिकरण के साथ पुनः संयुक्त स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन कराया गया जिसमें पाया गया कि पूर्व में प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वन भूमि प्रभावित नहीं हो रहा है। (संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न, संलग्नक-1)
2	As per the proposal, 11 patches of the CA land proposed in non-forest land, but according to the DSS out of 11 patches, 05 patches have been fall in the Reserve Forest area (Khasra No. 45, 10, 8, 1305 & 1306) This needs rectification/Clarification.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावित गैर वन भूमि का राजस्व विभाग, वन विभाग तथा प्रयोक्ता अनिकरण के साथ पुनः संयुक्त स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन कराया गया है जिसमें पाया गया कि क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु प्रस्तावित भूमि वास्तव में गैर वन भूमि ही है। प्रस्तावित गाटों को 1:50000 स्केल पर बने वनसीमा कि डिजिटल बाउण्ड्री पर डालने से यह वन सीमा से अतिव्यापी प्रदर्शित हो रहा है किन्तु इन गाटों का जब राजस्व के खसरा मानचित्र 1:4000 पर अतिव्यापी करने पर वन सीमा से बाहर प्रदर्शित हो रहा है। (संयुक्त निरीक्षण आख्या संलग्न, संलग्नक-2)
3	Consolidate patch of at-least 5.00 ha needs to be provided for CA. Also CA land has to be contiguous to Forest Block. Accordingly, CA Scheme and all related documents need to be revised.	राजस्व भूमि के अभिलेखों के अनुसार उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि वन विभाग से सटा हुआ है। पूर्व में राजस्व द्वारा बड़े पैच उपलब्ध कराये गये थे जो कि पथरीली होने के कारण दूसापेग हेतु उपयुक्त नहीं था। सोनभद्र का अधिकतम भाग वन भूमि एवं पथरीली होने के कारण वन विभाग से सटा एवं 5 हे० में से अधिक उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण उपलब्ध अधिकतम क्षेत्रफल की भूमि सी०ए० लैण्ड हेतु उपलब्ध करायी गयी है। प्रस्तावित गाटे वन भूमि से सटे होने के कारण प्रबन्धन में कोई अन्तर नहीं आयेगा।
4	The Geo-referenced cadastral map of the proposed CA land need to be submitted.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि का जियो रिफरेंस कॅडस्ट्रल मानचित्र संलग्न कर दिया गया है। (संलग्नक-3)
5	Plantation scheme for road side plantation needs to be submitted.	रोड साइड पटरी दूसापेग सम्बन्धी प्राक्कलन संलग्न है। (संलग्नक-4)
6	The sanction letter submitted with the proposal does not indicate the widening of this particular road and the length of road to be widened. The necessary document needs to be provided.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना का स्वीकृत पत्र संलग्न कर दिया गया है। (संलग्नक-5)

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुरेश चन्द्र पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र।

संख्या/ अ/समदिनांक

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लोक निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुरेश चन्द्र पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र।